प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 19 **जनवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दाखिल रिट याचिका संख्या-20337/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/697, दिनॉक 15.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद-60 भूमि क्रय खोलते हुए रू0 75.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दाखिल रिट याचिका संख्या-20337/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन **में** प्रतिकर धनराशि कृषको उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक 4210-03-105-51-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु 60-भूमि क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055100 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 18-01-2024 17:21:13
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. उप सचिव (श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1001/099/184/2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दाखिल रिट याचिका संख्या-20337/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031052700 (राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एन0डी0एच0एम)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रूपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रूपये बीस करोड़ मात्र	75,00,000 रूपये पचहत्तर लाख मात्र		19,25,00,000	2023-24

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031055100 (राजकीय मेडिकल कालेज ,आजमगढ़)	60-(भूमि क्रय)	0	75,00,000 रूपये पचहत्तर लाख मात्र	75,00,000	75,00,000	2023-24

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 0एम0एच0डी0एन)) हेतु मानक मद-24 वहृत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू2000 0.लाख में से 00 75 0रू.वित है।लाख की बचत सम्भा 00

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

शासकीय पत्र दिनांक 05.12.2023 द्वारा रिट याचिका संख्या-20337/2020 मेजर सत्य प्रकाश पाण्डेय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के क्रम में आपसी सहमति के आधार पर कृषकों को भूमि की प्रतिकर धनराशि उपलब्ध कराये जाने के निमित्त उक्तानुसार हो रही बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज , आजमगढ़ हेतु मानक मद-60-भूमि क्रय खोलते हुए रू0 75.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-326-2023-24, दिनांक 16 जनवरी, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 18-01-2024 13:48:34
Reason: Approved

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।